संख्या-13/2022/1240/23-9-2021-11नाबार्ड(ओडीआर)/2020

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 08 जनवरी, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-165/37पी0जे0(आ0)/आर.एस.डी.-5/21, दिनांक 29.12.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा स्वीकृत विभिन्न जनपदों के 05 चालू कार्यो हेतु सूची के स्तम्भ-11 के अनुसार रू0 15,37,33,000/- (रूपये पन्द्रह करोड़ सैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत	वास्तविक लागत	03/2021 तक आवंटन / व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्व में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वर्ष 2021-22 में अब अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अयोध्या	मवई चौराहे से उमापुर, बाबा बाजार होते हुए मॉ कामाख्या भवानी मन्दिर धाम मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	45/2021/118/23-9-2021-12नाबार्ड(ओडीआर)/2020, दि0 25.02.2021	9.40	1553.16	1553.16	97.32	388.29	1067.55	388.29

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत	वास्तविक लागत	03/2021 तक आवंटन / व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्व में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वर्ष 2021-22 में अब अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	मुजफ्फर नगर	कूकड़ा मण्डी से भण्डूरा होते हुये कि0मी0 10 तक) मु0नगर जौली बेहड़ा सादात (मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य	75/2020/426/23-9-2020-11नाबार्ड(ओडीआर)/2020, दि0 27.03.20	10.00	1729.88	1706.39	892.81	432.00	381.58	232.00
3	अम्बेडकर नगर	टाण्डा हंसवर आरोपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	75/2020/426/23-9-2020-11नाबार्ड(ओडीआर)/2020, दि0 27.03.20	15.80	1851.06	1781.68	1546.06	212.45	23.17	23.17
4	अम्बेडकर नगर	टाण्डा बरियावन सुल्तानगढ़ पट्टी सुरहुरपुरमार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	85/2020/501/23-9-2020-09नाबार्ड(ओ.डी.आर.)/2020टीसी दि0 23.07.2020	17.00	3096.30	3023.98	1209.63	1245.75	568.60	568.60
5	राय बरेली	लालगंज बेहटा सरेनी मार्ग चैनेज 0.800 से 16.000 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	13/2019/155/23-9-2019-15नाबार्ड (ओ.डी.आर.)/2018, दि0 01.03.2019	15.20	3720.58	3710.33	2885.06	500.00	325.27	325.27
			कुल योग-	67.4	11950.98	11775.54	6630.88	2778.49	2366.17	1537.33

2- उक्त धनराशि केवल उल्लिखित परियोजनाओं पर ही मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- संलग्न तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

6- इस संबध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 83-नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था, 00, 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

<u>संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) / वित्त नियंत्रक, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in